निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्याः सेवा–1 / दो–(ख) / 8–(01) / 226 / 2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश सं0–410684 / XXX(2) / 2026–E–26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 जुलाई 2026, शासनादेश संख्या–427227 / XXIV-B-1 / 2026 / 01(23) / 2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, दिनांक 07 जुलाई 2026 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समूह–ख वेतनमान रू0 56100–177500, (लेवल–10) में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को ***स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17 (1) (ख) (पांच) के अन्तर्गत*** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 के विद्यालय से स्तम्भ–4 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अपने ही वेतनमान में ***निजी व्यय पर*** स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय / संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	रा॰उ॰मा॰वि॰ रिंगालगढ़, टिहरी।	रा॰उ॰मा॰वि॰ शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	वरिष्ठ कार्मिक
2	श्री जसपाल सिंह पटवाल	रा॰उ॰मा॰वि॰ आमणी गुसांईगांव, टिहरी	रा॰उ॰मा॰वि॰ खैरी मारखमग्रांट, डोईवाला, देहरादून	––तदैव––
3	श्री कैलाश चन्द्र डिमरी	रा॰उ॰मा॰वि॰ धोईरा, कालसी, देहरादून	रा॰उ॰मा॰वि॰ झीवरहेड़ी, सहसपुर, देहरादून	––तदैव––
4	श्री नेत्रपाल सिंह	रा॰उ॰मा॰वि॰ कैंचीवाला, सहसपुर, देहरादून	रा॰उ॰मा॰वि॰ चामासारी, रायपुर, देहरादून	––तदैव––

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापकों द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) धारा–25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवा–1/दो–(ख)/8–(01)/ 4640-50 /2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
6. संबधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
8. प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेगें।
11. आदेश गार्ड फाईल।

(रमेश तोमर)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।